


फर्द अहकाम

रामपाल बनाम मेमदेवी

लय : सहायक कलक्टर, बस्सी

प्रार्थना पत्र/मुकदमा नम्बर : 08/2024

क्र. आ. आ. कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	<p>उचित लग्न होते हुए उभयपक्षों की जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि उभयपक्ष विघातित आराजी खतरा नं. 190/31, 31 कुल किता 2 कुल रकबा 1.0116 हेक्टर स्थित ग्राम झीझा प.ट. देवगांव तह. तूंगा जे. जयपुर पर ताफैसला बाह के मौजू की यथास्थिति बनाये रखे एवं अप्रार्थी सं-1 अपने नेशनल हिस्से से आधिक का बेचात न करे। यह आदेश बेंच से के. सी. सी. शृण लेने पर प्रभावी नही रहेगा।</p> <p style="text-align: center;">पत्रावली फेंसल सुमार होकर नम्बर से कम होकर बाह तकमील काखिल केंपतर हो।</p>	


 सहायक कलक्टर
 बस्सी जिला जयपुर

फर्द अहकाम

रामपाल बनाम प्रेम देवी

नाम न्यायालय : सहायक कलक्टर, बस्सी

राजस्व वाद/प्रार्थना पत्र/मुकदमा नम्बर : 08/2024

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
		<p>ने जवाब T-D. पेश किया जिलकी कापी प्रार्थी के अधिवक्ता को दिलवाई गई। पत्रावली वास्ते बहस T-D. दिनांक 02/05/24 को पेश है।</p> <p style="text-align: right;">[Signature]</p>
02/05/24		<p>पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष वकील उपस्थित। उभयपक्ष अधिवक्ता उपस्थित होकर बहस की, जिसे सुना गया। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 06/05/23 को पेश है।</p> <p style="text-align: right;">[Signature]</p>
06/05/24		<p>पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष अधिवक्ता उपस्थित। प्रार्थना पत्र अस्थायी विधेयावा पर उभयपक्ष अधिवक्ता को बहस पूर्व में सूनी जा चुकी है। उभयपक्ष अधिवक्ताओं ने दौरान बहस प्रार्थना पत्र एवं जवाब प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया।</p> <p>पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड को अवलोकन करने एवं उभयपक्ष अधिवक्ता द्वारा दौरान बहस जाहिर तथ्यों पर मनन करने के उपरान्त</p>